डीजी–परिपत्र स0– 03 / 2015

अरुण कुमार गुप्ता
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः जनवरी 13 ,2015

प्रिय महोदय,

कृपया इस मुख्यालय के डीजी परिपत्र सं0–37/2011 दिनांक 24–11–2011 एवं अर्द्ध शा0परिपत्र सं0 एडीजी–07/2013 दिनांक 20–08–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समाज के पीड़ित व उपेक्षित जन की समस्याओं का विधिसम्मत एवं त्वरित निस्तारण करने हेतु पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पारदर्शी एवं निश्चित समय सीमा में निस्तारित करने हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) प्रेषित किया गया था एवं यह अपेक्षा की गई थी कि इसका प्रभावी कियान्वयन/अनुपालन कराते हुए वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायें। परन्तु यह देखा जा रहा है कि कतिपय परिक्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर परिक्षेत्रों द्वारा उपरोक्त का कियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है और न ही वांछित सूचनाएं इस मुख्यालय को प्रेषित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैंः–

1– जनपदों में नियुक्त नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह इसके अनुपालन की समीक्षा करेंगे और इसकी आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखेंगे।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रत्येक 15 दिन में नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे और समयबद्ध निस्तारण न करने के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

3– जोनल पुलिस महानिरीक्षक व परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक सिटीजन चार्टर के अनुपालन की कार्यवाही की जनपदवार मासिक समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि समयबद्ध निस्तारण में विलम्ब के उत्तरदायी अधिकारी/कमर्चारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई।

4– सिटीजन चार्टर के प्रारूप का पोस्टर/पम्पलेट/बोर्ड बनवाकर जनपद के कस्बों, बाजारों और गांवों में दृश्य स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे, बस स्टैण्ड व पुलिस प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थानों पर लगवायें जायें तथा उस पर नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित किये जायें।

5– जनपद के पुलिस अधीक्षक व नोडल अधिकारी सिटीजन चार्टर का अखबार/मीडिया/एन.जी.ओ., रोटरी क्लब व लायन्स क्लब आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।

6– तहसील दिवस व समाधान दिवस पर भी सिटीजन चार्टर के सम्बन्ध में जनता को जानकारी दी जाये।

7– परिक्षेत्र स्तर पर स्थापित हेल्प लाइन नम्बर का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये और हेल्प लाइन पर जो शिकायतें प्राप्त हों, उनका रजिस्टर बनवा कर समयबद्ध निस्तारण कराया जाये।

8– समय–समय पर इस मुख्यालय से भी परिक्षेत्र के जनपदों में नामित अधिकारी भेजकर उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा की जायेगी।

अतः मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराकर जन समस्याओं का प्रभावी ढंग से समयबद्ध निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(अरुण कुमार गुप्ता)

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।